कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश)

(E-mail— pccfwl@mp.gov.in and oicstsf.bpl@mp.gov.in)

प्रेस विज्ञप्ति (62/26, दिनांक 05.09.2026)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी में संलिप्त कुख्यात शिकारी" शेरु पारधी" निवासी कटनी गिरफ्तार

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों की विदेशों मे तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश (MPSTSF) की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसी दिशा मे MPSTSF को मिली बड़ी कामयाबी, 1.5 वर्ष से फरार कुख्यात शिकरी को शहडोल से किया गिरफ्तार। इस प्रकरण मे अभी तक कुल 8 आरोपी पाँच राज्यों MP, Punjab, Himachal Pradesh, Mizoram & Meghalaya से गिरफ्तार हो चुके है।

उक्त प्रकरण की विवेचना मे पाया गया की एक संगठित गिरोह लिप्त है जिसमे होशियारपुर (पंजाब), सोनीपत (हरियाणा)), बद्दी (हिमाचल) एवं कटनी (मध्यप्रदेश) के निवासी जो बाघ का शिकार करने मे निपुण एवं सक्रिय रहते है उन्होंने संगठित होकर देश के कई राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों मे वर्ष 2024-25 मे भारी मात्रा मे बाघ का शिकार कर उसकी हड्डियों व अन्य अवयवों को मेघालय-असम-मिजोरम के निवासी कुछ तस्करों को बेच दिया था, जिसे उन्होंने देश के बाहर म्यांनमार के सरगना से अवैध व्यापार किया गया पाया। जिसे आगे चीन एवं अन्य देशों मे मांग की पूर्ति हेतु अवैध वन्यजीव बाजार मे भेजा जाने की संभावना है।

इसी प्रकरण में फरार शिकारी को पकडने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित कर प्राप्त सूचना के आधार पर दल गठित कर शहडोल आसपास के क्षेत्रों में भेजा गया। दल द्वारा संयम पूर्वक एवं योजना बद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए कई दिनों से फरार आरोपी शेरु पारधी उर्फ शेरु सिंह निवासी जिला- कटनी एवं सह आरोपी बिनौरी बाई पति शेरु पारधी निवासी जिला -कटनी को घेराबंदी कर ब्यौहारी जिला शहडोल से दिनांक 04.09.2026 को तब गिरफ्तार किया जब वे किसी वन्यजीव के शिकार करने की फिराक मे भी थे। आरोपियों से मौके पर छुरी, चाकू, कुल्हाड़ी एवं पक्षी पकड़ने का जाल जप्त किए गए हैं। दोनों आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में दिनांक 05.09.2026 को प्रस्तुत कर 05 दिन की फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी शेरु पारधी, कुख्यात बाघ शिकारी अजीत पारधी का भाई है, जो अपने गिरोह के साथ शिकार करते हैं। शेरु पारधी की कई राज्यों की एजेन्सी की तलाश जारी थी। शेरु पारधी के विरुद्ध कर्नाटक मे वर्ष 2002 एवं महाराष्ट्र मे वर्ष 2013 मे दो वन अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमे एक प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी। महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा शेरु पारधी को फरार घोषित किया गया है। वर्तमान मे प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल